

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 13 APR 2018


कार्यशाला

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं पर माननीय मन्त्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को समस्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कार्यशाला, इन्दिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में प्रातः 09:30 बजे आहूत होगी। कार्यशाला कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा:-

समय	विषय-वस्तु
09:30 AM	रजिस्ट्रेशन।
10:00 To 11:00 AM	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
11:00 To 01:00 PM	ग्रामीण विकास की योजनाएँ।
01:00 To 02:00 PM	लंच ब्रेक।
02:00 To 04:00 PM	पंचायती राज की योजनाएँ।
04:00 To 05:00 PM	जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण की योजनाएँ, राजीविका एवं सामाजिक अंकेक्षण।
05:00 To 06:00 PM	सामुहिक चर्चा एवं अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

एजेंडा बिन्दु पृथक से संलग्न हैं।

- एजेण्डा अनुसार समस्त अधतन सूचनाएँ सम्बन्धित योजना प्रभारी एवं पीडी एम एण्ड ई को जरिये मेल आईडी pdme2k\_rdd@yahoo.com) पर दिनांक 16.04.2018 तक भिजवायें।
- सभी योजना प्रभारी कार्यशाला हेतु अपनी योजनाओं की पीपीटी तैयार कर दिनांक 17.04.2018 तक पीडी एम एण्ड ई अनुभाग को भिजवाने का कष्ट करें।


  
(हितबल्लभ शर्मा) 13/04/18  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)  
कृ.पृ.३.

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महानरेगा।

**प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), जयपुर।
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
5. अति. आयुक्त, एवं संयुक्त शासन सचिव प्रशासन-2, पंचायतीराज विभाग।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज विभाग/ईजीएस।
8. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी-I एवं II/मो. एवं मू।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज विभाग/ईजीएस।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है **कि उक्त बैठक में सुसंगत सूचनाओं के साथ भाग ले एवं जिले से किसी भी योजना प्रभारी/कार्मिक को साथ नहीं लेकर आवें।**
11. परियोजना अधिकारी (प्रशा.), ग्रामीण विकास समस्त व्यवस्थाओं हेतु कार्यशाला का समस्त व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद से वहन किया जावेगा।
12. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बैठक हेतु आवश्यक व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
13. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अपने साथ-साथ पंचायतीराज विभाग के समस्त योजना प्रभारी को तदनुसार सूचित करावें।
14. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
15. सहायक निदेशक, (प्रचार), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
16. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट **www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।**

  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

## एजेंडा बिन्दु

मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कार्यशाला दिनांक 19 अप्रैल, 2018

1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के निर्धारित, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अर्जन की समीक्षा।
2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय की गयी राशि के यूसी/सीसी के समायोजन की समीक्षा।
3. राज्य स्तर से जारी किये गये दिशा निर्देशों की क्रियान्विति की समीक्षा।
4. जिला स्तर के अधिकारियों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार भ्रमण कार्यक्रम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति निरीक्षण आदि की समीक्षा।
5. आगामी वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के लक्ष्य अर्जित करने की कार्य योजना का निर्धारण।
6. माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा, निर्देश एवं बजट घोषणा के किन्यावयन एवं प्रगति की समीक्षा।
7. अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।